

Speed post /त्रिव डाक

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्युरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

**Show-cause Notice /कारण बताओ नोटिस**

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202

संख्या: MCDR-MiFL0LST/6/2022-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: /10/2024

प्रेषित: खान एजेंट।

मेसर्स अंबुजा सिमेन्ट लिमिटेड,
मारवाड मुंडवा चुना पत्थर खान (ML 3 of 94),
तहसील: रूपासर, जिला: नागौर,
राजस्थान: 341026

(e-mail: chetan.raval@adani.com , jitendraprasad.kumawat@adani.com)

विषय: राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित आपकी मारवाड मुंडवा चुना पत्थर खान (ML 3 of 94) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 05/09/2024 and 06/09/2024 by undersign in presence of Sri Jitendra Prasad Kumawat, Mine Manager, Sri Vinod Choudhary, Mining Engineer, Sri Partha Sarathi Maji, Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
45(7)	On examination of the Annual return for the year 2023-24 following discrepancy have been observed: (1) Part-V, Section 2: As per approved Modification of Review of Mining Plan document dated 13/06/2023, the probable mineral reserve of 4298800.00 tons has been estimated. However, the figure of probable mineral reserve under category 122 has not been furnished in the mentioned annual return. (2) Part VII: As per approved Modification of Review of Mining Plan document dated 13/06/2023, the production of 2000000.00 tons of Limestone was proposed for the year 2023-24. However, under second table of the part VII, the production proposal for the financial year 2023-24 has been mentioned as 1257240.00 tons.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।
03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 कि अनुसूची -2 के प्रावधान लागू होंगे।
04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 30 (तीस) दिनों दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

05. कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दीया जाएगा।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, नागौर।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर